

**गवालियर संस्करण की नई विज्ञापन दरें**

वर्गीकृत विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट) 3 DAYS 15 DAYS 1MONTH	50 शब्द, प्रत्येक अतिरिक्त शब्द 5 रुपये, शीर्षक शुल्क 100 प्रतिशत अतिरिक्त	100/-	500/-	1000/-
द्विस्तरीय क्लासिफाइड विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट) 1DAYS 7DAYS 1MONTH		500/-	1800/-	3000/-
पगड़ी रस्म, पुण्यतिथि फोटो सहित	Size 8x1	Rs. 500/-		
गुमशुदा, जन्मदिन, वधाई	Size 8x1	Rs. 1000/-		
वैवाहिक	Size 6x1	Rs. 500/-		
नाम परिवर्तन, लीज पॉलिसी परिवर्तन, खोया-पाया	Display Classified Rate			
वैवाहिक विज्ञापन कम से कम 40 शब्द (केवल मध्यप्रदेश) 5 रुपये अतिरिक्त शब्द		Rs. 500/-		

**Contact:-**

Nava Bharat Bhavan, City Center, Gwalior  
Ph. 0751-4086200, 9479319990  
E-mail address-bharatnava@gmail.com

पाठकगण किसी भी वर्गीकृत विज्ञापन पर पहले करने से पहले पूरी जानकारी एकत्र कर संपर्क करें. इस संबंध में नवभारत समाचार-पत्र की जिम्मेदारी नहीं होगी.



# दीपोत्सव के लिए सजा शहर, बाजारों में देर रात तक रही भीड़

**नवभारत न्यूज गवालियर, 19 अक्टूबर।** छोटी दीपावली पर शहर में सभी बाजारों खरीददारों की उसाठस भीड़ रही जहां देखो वहां दुकानें सामानों और खरीददारों से भरी हुईं।

**फड़, ठेलों से लेकर दुकानें तक उसाठस, पुलिस बल रहा तैनात**

है फुटपाथी दुकानदार भी पीछे नहीं है। अपनी दीपावली रंगीन करने के लिए फुटपाथी दुकानदारों ने दुकानें भी खूब सजा रखी है इन



के फुटपाथ भी इन दिनों रंग-बिरंगे सामान से गुलजार हैं। इन दुकानों पर घर की सजावट के लिए विभिन्न वैरायटी के सामान हैं। यहां पर मिलने वाले सस्ते सामान की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं। इन फुटपाथों पर फूल, प्लांवर पॉट, प्लास्टिक की मालाएं, आकर्षक मूर्तियां सहित विभिन्न सामान लोगों के मन को मोह रहे हैं। शहर में मुरार, थाटीपुर, मयूर मार्केट, महाराज बाड़ा, कपू, हजीरा, उपनगर गवालियर, हजीरा सहित तमाम

के चेहरे भी खिले हुए हैं। इसके अलावा शहर के अन्य बाजारों और चौराहों के आस-पास भी अस्थायी दुकानें सज गई हैं और इन दुकानों पर दीपावली का सामान बिक रहा है। **स्कीमों से ललचा रहे ग्राहकों को :** बाजारों में स्थित दुकानों पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी नित नई स्कीमों लेकर आ रहे हैं। ग्राहकों को विभिन्न आयटमों पर खूट दी जा रही है। वहीं कई स्थानों पर एक के साथ एक आयटम फ्री दिए जा रहे हैं। दुकानों के बाहर लगे इन पर



इलाकों में सड़क और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों पर दिनभर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। **भीड़ देख खिले हैं फुटपाथियों के चेहरे :** रोज कमाने और खाने वालों ने महाराज बाड़े पर जहां पर जगह मिली वहां पर दुकान सजा ली है। महाराज बाड़ा, सदर बाजार मुरार, हजीरा सहित शहर के अन्य बाजार इन दुकानदारों से रोशन हैं। इन फुटपाथी दुकानदारों के घर त्योहारों पर होने वाली बिक्री से ही रोशन होते हैं। इन दिनों बाजारों में भीड़ देख इन फुटपाथी दुकानदारों

## दीपावली पर रखें स्वास्थ्य का ख्याल : डॉ. गुप्ता

**नवभारत न्यूज गवालियर, 19 अक्टूबर।** त्योहारों के मौसम में अपनी डाइट और फिटनेस के लक्ष्यों को भूल जाना आम बात है, लेकिन इस दौरान हम कुछ बेहद हानिकारक आदतें अपना लेते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकती हैं। ये तरीके आपको दिवाली के दौरान होने वाली किसी भी छोटी-मोटी परेशानी से भी बचाएंगे। **कम मीठा खाएं :** असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. निशांत गुप्ता ने कहा, त्योहारों के दौरान अपने द्वारा खाई जाने वाली मिठाइयों की मात्रा को नियंत्रित करना, आपके शरीर को स्वस्थ रखने और भविष्य में मधुमेह जैसी बीमारियों से बचने का एक बेहतर और प्रभावी तरीका है। इस दौरान बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और पहले से ही सांस लेने की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए यह और भी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। **शराब या धूम्रपान का सेवन न करें :** डॉ. गुप्ता ने कहा, जिन लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, उनके लिए दीपावली के दौरान शराब और धूम्रपान से दूर रहना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि इनसे दिल का दौरा और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। जिनके लिए तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है। **घर पर ही बनाएं खाना :** उन्होंने कहा कि दुकानों से खरीदने के बजाय घर पर ही खाना बनाएं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के अनुसार इन व्यंजनों को अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं।

## अवैध गांजा भरा ट्रक पकड़ा, तीन तस्कर गिरफ्तार

**नवभारत न्यूज गवालियर, 19 अक्टूबर।** पुरासानी क्षेत्र याराना ढाबा के पास बयापसा पर एक अवैध रूप से गांजा भरा हुआ ट्रक पकड़ा है पुलिस ने उक्त सूचना पर विजयवाड़ा से ट्रक में छिपाकर ला रहे अवैध **विजयवाड़ा से दिल्ली जा रहा था ट्रक**



गांजा सहित तीन तस्करों को गवालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक में बैठे लड़कों से नाम व पता पूछने पर उन्होंने अपने अविनाश यादव पुत्र संतराम यादव उम्र 23 साल निवासी वाई नंबर 8

निवासी ग्राम रिठौरा का पुरा थाना दिमनी जिला मुरैना का होना बताया तथा बताया कि वह लोग विजयवाड़ा से नई दिल्ली पोंधे लेकर जा रहे थे और ट्रक मालिक के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने सर्वेश गुर्जर पुत्र रतनसिंह गुर्जर उम्र 25 साल निवासी रिठौरा का पुरा थाना दिमनी जिला मुरैना को होना बताया जो कि पकड़े गये संदिग्ध अजय गुर्जर का भाई है। पुलिस टीम द्वारा तीनों संदेहियान एवं वाहन को तलाशी ली गई तो ट्रक की ट्राली खुली बाँड़ी में हरे पौधों के बीच में 6 प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरीयों एवं मट्टैले रंग के टैप से कवर कुछ पैकेट रखे मिले। गिनती करने पर कुल 36 पैकेट एवं बोरीयों के अलावा 19

## हत्या के प्रयास में फरार आरोपी हथियार सहित गिरफ्तार

**नवभारत न्यूज गवालियर, 19 अक्टूबर।** थाना महाराजपुरा पुलिस ने जानलेवा फायर करने वाले हत्या का प्रयास के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अवैध हथियार सहित कर लिया। अभिषेक यादव निवासी तिकोनिया पार्क के पास आनंद नगर बहोड़ापुर रात्रि 9.50 बजे अपने दोस्त रोविन कुमारी निवासी आनंद नगर अपने दोस्त रोहित गुर्जर से मिलने उसके घर डीडी नगर आये थे। रोहित गुर्जर के घर के सामने पार्क में रोहित गुर्जर व उसके भाई मोहित गुर्जर का आपस में मुंहबाद हो रहा था और वह आपस में गाली गलौज कर रहे थे। अचानक मोहित उर्फ छोटे अपनी थार गाडी रजि. नं. यूपी80-जीसी-8636 से बंदूक निकालकर लाया

और बोला कि आज इसको मार देता हूं और सामने फायर कर दिया तो रोहित वहां से भाग गया फिर उसने जान से मारने की नीयत से बंदूक का मुंह मेरे दोस्त रोविन शर्मा एवं मेरी तरफ करके हाथ में लिये बंदूक से फायर किया जो एक गोली रोविन के गाल में लगाते हुए निकल गई जिससे उसके गाल में खून निकलने लगा गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी निकलकर आ गये थे तभी मोहित अपनी थार गाडी को लेकर वहां से भाग गया। उक्त मामले की थाना महाराजपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरण का फरार आरोपी मोहित सिंह गुर्जर थाना महाराजपुरा क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ पुल के पास

## मंदिरों से प्रसाद की होम डिलेवरी पर उभरा आक्रोश

**गवालियर, 19 अक्टूबर।** शहर के कुछ मंदिर प्रबंधन द्वारा घरों पर भगवान की प्रसादी होम डिलेवरी के माध्यम से पहुंचाने की नई परंपरा डाले जाने पर तीखा एतराज उभर रहा है। श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर न्यास के पूर्व सूचना सचिव महेन्द्र भदकारिया ने सनातनी परंपराओं में विश्वास रखने वाले सभी शहरवासियों की ओर से आपत्ति जताते हुए इसे सनातनी परंपराओं के सर्वथा विपरीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ मंदिर प्रबंधन द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय को यदि तत्काल वापस नहीं लिया जाता है तो सनातन अचलेश्वर महादेव मंदिर न्यास के पूर्व सूचना सचिव महेन्द्र भदकारिया ने आज एक वक्तव्य में कहा कि श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर, श्री सनातन धर्म मंदिर, श्री साईं बाबा मंदिर, श्री खेडुपति हनुमान मंदिर आदि मंदिरों से इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि मंदिर प्रबंधन द्वारा भगवान की प्रसादी की होम डिलेवरी प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है, यह हम सभी के लिए अस्वीकार्य है। क्योंकि होम डिलेवरी प्रारंभ होने पर भगवान के प्रसाद के विधर्मियों, शराब व मांस का सेवन करने वाले धर्मविरोधी तत्वों के हाथों में जाने का खतरा है।

## नकली दवा बनाने वालों को कोर्ट से नहीं मिली राहत

**नवभारत न्यूज गवालियर, 19 अक्टूबर।** बिना लाइसेंस के नकली आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने और बेचने वाले आरोपितों को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की गवालियर पीठ से राहत नहीं मिली है। एकलपीठ

दवाइयां बनाए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहन जांच के बाद विशेष टीम गठित कर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में भारत सिंह कुशावाह, संतोष कुशावाह एवं विशाल सांखला द्वारा संचालित शिवम् फार्मसी, नेहरू पेट्रोल पंप के पास, लक्ष्मीगंज, जनकगंज के परिसर से बड़ी मात्रा में नकली आयुर्वेदिक औषधियां बरामद की गईं। आयुष अधिकारी की उपस्थिति में दवाइयों के नमूने एकत्र किए गए और शेष माल जन्त कर एफआईआर दर्ज की गई। यह अपराध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा कापीराइट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। जांच के

## एफआईआर निरस्त करने की याचिका की खारिज

एफआईआर रद्द करने की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज अपराध प्रथम दृष्टया संज्ञेय हैं और जांच पूरी तरह वैध है। गौरतलब हैं कि थाना जनकगंज पुलिस को लंबे समय से अपने क्षेत्र में बिना औषधि लाइसेंस के नकली आयुर्वेदिक

दौरान आरोपी विशाल सांखला ने बयान में स्वीकार किया कि वह भारत सिंह कुशावाह एवं संतोष कुशावाह द्वारा निर्मित नकली दवाइयों को शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स पर सप्लाई करता था। **कोर्ट ने माना जान को खतरे में डालने का गंभीर अपराध :** जांच में पाया गया कि ये दवाइयां बिना किसी वैध लाइसेंस, फर्म का नाम, पता या बैच नंबर अंकित किए तैयार की जा रही थीं, कोर्ट ने इसे मरीजों की जान को खतरे में डालने का गंभीर अपराध माना है। पुलिस ने बताया कि बार-बार पूछे जाने पर भी आरोपी ड्रग कंट्रोलर, भोपाल से जारी वैध औषधि निर्माण लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।

## बकाया देनदारी के लिए बनाई मानव श्रृंखला

**नवभारत न्यूज गवालियर, 19 अक्टूबर।** भाजपा सरकार द्वारा जैसी मिल मजदूरों को दीपावली पर बकाया देनदारी दिए जाने के वादा खिलाफी और जे. सी. मिल मजदूरों की बकाया देनदारी की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में जे. सी. मिल गेट विरला नगर में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया।

कोर्ट ने माना जान को खतरे में डालने का गंभीर अपराध : जांच में पाया गया कि ये दवाइयां बिना किसी वैध लाइसेंस, फर्म का नाम, पता या बैच नंबर अंकित किए तैयार की जा रही थीं, कोर्ट ने इसे मरीजों की जान को खतरे में डालने का गंभीर अपराध माना है। पुलिस ने बताया कि बार-बार पूछे जाने पर भी आरोपी ड्रग कंट्रोलर, भोपाल से जारी वैध औषधि निर्माण लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।



## मर्सी होम और आदिवासी बस्ती में रहने वालों के साथ मनाई दीपावली

**नवभारत न्यूज गवालियर, 19 अक्टूबर।** दीपावली त्योहार के अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) गवालियर श्रीमती विदिता डार, सीएसपी विश्वविद्यालय सूत्री हिना खान, थाना प्रभारी सिरोल गोविंद बगोली एवं थाना सिरोल के कर्मचारियों द्वारा सिरोल स्थित मर्सी होम में रहने वाले दिव्यांग लोगों के साथ दिवाली उत्सव मिठाइयों वितरित कर मनाया। उधर अनुभाग घाटीगांव में एसडीओपी शेखर दुबे के निदेशन में थाना प्रभारी मोहना रशीद खान, थाना प्रभारी घाटीगाँव उमाशंकर

## कच्चा नोटिस

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आसियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (2) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उभारखोला/सह-उभारखोलाओं को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उभारखोलाओं से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित नामों के सम्बन्धित शक्ति, उक्त नोटिस को प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दूरी पर ख्याज सहित, और भुगतान और/वा वसूली की तिथि तक किच एग् भावी आकरिसक व्यव, लगव, शुल्क आदि सहित कुमा दे, **क्र. क्रम संख्या** उभारखोला/सह-उभारखोला/गादर/बधककर्ता 13(2) नोटिस दिनांक/ दिनांक समाप्त और कर्ता का प्रकार

क्र.	क्रम संख्या	उभारखोला/सह-उभारखोला/गादर/बधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/ दिनांक समाप्त और कर्ता का प्रकार
1	45519420004895 और 45519420005807	1) श्री पपू बाबयम पुत्र धर्मोत्तम बाबयम 2) श्रीमती उर्मिला बाबयम पत्नी पपू बाबयम	06.08.2025 04.08.2025 तक रु. 13,13,329.72 (रु. तेरह लाख तेरह हजार तीन सौ उन्तीस और बहतर पैसे मात्र)

**सुरक्षित संपत्ति का विवरण** - प्लॉट संख्या 36 वाला वह समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 836 वर्ग फुट (77.69 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण कार्य सहित, भूमि संवर्धन संख्या 112/2, 112/3/1, 70/1, 75/1/1, 228/2, 629/112, 108/2, 112/3/2, 115/2, 73/2, 115/1, 73/1/3, 75/1/3, 75/1/2 का भाग, ग्राम भाटखेड़ी, नगर निगम वाई संख्या 60, नगर निगम गवालियर, परगना एवं जिला गवालियर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. सीमा - पूर्व में - प्लॉट संख्या 37 श्रीमती रानी शाबाय, पश्चिम में - प्लॉट संख्या 35 पर निर्मित मकान श्रीमती कविता, उत्तर में - कोमल रोड और दक्षिण में - अन्य का प्लॉट. **सूचित यहाँ ऊपर उल्लिखित ऋणी/सह-ऋणी/गादर/बधककर्ता देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे है, अतः यहाँ विशेष रूप से ऋणी और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जिन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उरोक्त वणिगत संपत्तियों/सुरक्षित परिसरों का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उरोक्त तिथियों को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ किया, से लिया है. यहाँ विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित ऋणी/सह-ऋणी/गादर/बधककर्ता और आम जनता को एतद द्वारा आगाह किया जाता है कि वे उरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसरों को साथ लेने-देने न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसरों को साथ कोई भी लेने-देने जिन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्रभार के अन्तर्गत होना.**

**जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी**  
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए  
**JANA SMALL FINANCE BANK** (A Scheduled Commercial Bank)  
**पंजीकृत कार्यालय** - दफ्तर, भुल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण संख्या 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोमरुद के पास, कोरमगला इनर रिंग रोड, डीजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चलापुरा, बैंगलोर-560071. **शाखा कार्यालय** - प्लॉट संख्या 131/01, भूल, मध्य प्रदेश नगर जोन-2, भोपाल (मध्य प्रदेश)-462011

